सं0–286 / 69.1.2000–77(सा) / 98टी0सी0–III

प्रेषक,

श्री एस0आर0लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँकः 18 फरवरी, 2000

विषय :– जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सी0सी0रोड का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पुरोनिधानित कार्यक्रमों के अर्न्तगत सी0सी0रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में (जैसे जल भराव इत्यादि) को दृष्टिगत रखते हुए केवल मलिन बस्तियों में अनुपलब्ध मूलभूत न्यूनतम सेवायें (Missing Basic Minimum Services) के कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष , डूडा को निम्न शर्तों के साथ खड़न्जा निर्माण के साथ–साथ सी0सी0सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

1. भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उल्लिखित कार्य में नगरीय मजदूर योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए सामग्री और श्रम का अनुपात 60:40 रखा जायेगा तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों का प्रत्येक क्षेत्र के लिए अधिसूचित निम्नतम दर पर मजदूरी दी जायेगी।

2. भरत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त प्रस्ताव सी0डी0एस0 के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. उक्त कार्य प्रत्येक दशा में विभागीय पद्धति से कराया जायेगा। स्वयं सेवी संस्थाओं से उक्त कार्य नहीं कराया जायेगा।

4. उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग की निर्धारित दर / मानक के अनुसार जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डूडा के पर्यवेक्षण में कराये जायेंगे। श्रमिकों / लाभार्थियों का दैनिक विवरण का रख–रखाव इस निमित्त लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मस्टर रोल के प्रारूप में ही किया जायेगा।

5. उक्त कार्य डूडा की शासी निकाय से अनुमोदित होने के उपरान्त ही कराये जायेंगे। शासनिक के अनुमोदन के बाद प्रत्येक कार्य के लिए पृथक प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

6. उक्त कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जायेंगे।

7. इन सम्पर्क मार्गों (सी0डी0रोड) पर सामान्यतय कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि अन्य विभागों द्वारा सी0सी0रोड पर कार्य कराया जाना अनिवार्य हो तो जिलाधिकारी की अनुमति

लिया जाना आवश्यक होगा और इन सम्पर्क मार्गों के पुनः निर्माण/मरम्मत हेतु जो व्यय आयेगा उसे सम्बन्धित विभाग को ही वहन करना होगा।

भवदीय

(एस0आर0लाखा)
सचिव

सं0–256(1)/69.1.2000.77 (सा)/98टी0सी0–III तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, राज्य नगर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(5) गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव